विधान परिषद के प्रथम सत्र-2025 के द्वितीय गुरूवार हेतु निर्धारित श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह उर्फ पूनम सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-07 का उत्तर।

प्रश्न	**उत्तर**
7 (क) "क्या आयुष मंत्री बतायेंगे कि कार्यालय जिलाधिकारी, वाराणसी ने अपने पत्रांक संख्या-955/सात-भू0सु0-2023, दिनॉक 23/06/2023 में ग्राम-कैथी, तहसील-सदर, जनपद-वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु आयुष विभाग को कुल गाटा-1 आ0नं0-1181 रकबा 0.43 डि0 में से रकबा 1200 वर्गफीट आबादी भूमि उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है?	जी हॉ।
(ख) यदि हॉ, तो क्या ग्राम-कैथी, तहसील-सदर, जनपद-वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना करा दी गयी है?	जी नहीं।
(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है और कब तक उक्त जनहित के कार्य में विलम्ब करने वाले कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित कराते हुए उक्त चिकित्सालय का निर्माण कराकर संचालित करायेंगे?	उक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन का परीक्षण/मूल्यांकन आयुष विभाग के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक 27.01.2025 को किया गया। समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए होम्योपैथिक निदेशालय, उ0प्र0 से पत्र दिनांक 19.02.2025 के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त के सम्बन्ध में बजट आवंटन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार उक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। प्रकरण में हुआ विलम्ब प्रकियात्मक है, जिसके लिए कोई कार्मिक उत्तरदायी नहीं है।

डा0 दयाशंकर मिश्र "दयालु"
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
आयुष विभाग।